राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1473/2014/जालौर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, पाली. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स पांचाराम पुत्र कालूराम, बालपुरा, बागौड़ा, जालौर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री पी. एम. चौपड़ा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 04/03/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 5/आरवैट/जालौर/13–14 में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, पाली (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वैट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 76(6)(12) में पारित आदेश दिनांक 11.04.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के उक्त संदर्भित आदेश दिनांक 11.04.2013 को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 09.04.2013 को वाहन संख्या आर.जे.16/जीए–1617 की जांच की गई जिसमें 180 बोरी रायड़ा परिवहनित होना पाया गया। माल के समर्थन में बिल, बिल्टी, चालान या अन्य दस्तावेज नहीं होने के कारण शास्ति आरोपित की गई।

4. अपीलार्थी की ओर से उप राजकीय अधिवक्ता श्री डी.पी. ओझा ने सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन किया तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश पर बल दिया तथा उसे विधिसम्मत बताते हुए अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

लगातार.....2

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

7. अभिलेख के परिशीलन पश्चात् तथ्यात्मक परिदृश्य निम्न प्रकार है–

(क) सक्षम अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 01 आदेश पत्र में दिनांक 09.04.2013 में यह उल्लेखित किया गया है की वक्त ट्रांसपोर्ट चैकिंग वाहन संख्या आर.जे.16/जीए–1617 को रोक कर चैक करने पर वहनित माल रायड़ा 180 बोरी बिना बिल, बिल्टी व चालान नहीं होने के कारण वाहन को रोका गया। दिनांक 11.04.2013 को निरूद्ध वाहन में माल के समर्थन में छगनाराम पुत्र देवाजी पुरोहित निवासी नादिंया, श्री मनराराम पुत्र श्री वीराजी, जाति कलवी, भीमाराम पुत्र श्री हेमाराम, निवासी नवागुड़ा तहसील बागोड़ा जिला जालौर ने उपस्थित होकर बताया की वाहन संख्या आर.जे. 16/जीए–1617 से परिवहनित माल में से 100 बोरी रायड़ा उनकी स्वयं की काश्तकारी उपज का रायड़ा है एवं सुमेरपुर मण्डी में बेचने हेतु भरवाया गया है। माल के समर्थन में श्री छगनाराम पुत्र श्री देवाजी पुरोहित निवासी नांदिया तहसील बागोड़ा द्वारा खसरा संख्या 756 जमाबंदी संख्या 417 पेश की गई तथा साथ में शपथ पत्र पेश किया। श्री मनराराम पुत्र श्री वीराजी व श्री भीमाराम पुत्र श्री हेमाराम, निवासी नवागुड़ा द्वारा खसरा गिरदावरी नकल 342, 389 जमाबंदी संख्या 140, 42 की मूल नकल एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। परिवहनित माल रायड़ा 100 बोरी के समर्थन में काश्तकारों द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये, बाद जांच 100 बोरी रायड़ा काश्तकारों का ही परिवहनित होना पाया गया जो स्वयं काश्तकारों द्वारा ही रायड़ा की उपज पैदा कर सुमेरपुर बिकने हेतु वाहन में भरा गया है। 100 बोरी रायड़ा पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, पत्रावली के पेज 02 के आदेश पत्र दिनांक 11.04.2013 के सामने भीमाराम, छगनाराम व मनराराम के हस्ताक्षर है।

(ख) पत्रावली पृष्ठ संख्या 02 आदेश पत्र पीछे के भाग में निम्नानुसार लिखा हुआ है "पुनः पत्रावली का अवलोकन एवं वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा दिये गये बयानों पर गहनता से विचार/मनन किया गया। वाहन चालक द्वारा वक्त जांच अपने बयानों में 80 बोरी रायड़ा भर्ती 80 किलोग्राम उक्त माल व्यापारी श्री मांगीलाल खस्सा जी जैन निवासी बागौड़ा का होना बताया गया, जिसके समर्थन में आदिनांक तक कोई बिल, बिल्टी नकल जमाबंन्दी प्रस्तुत नहीं की गई इससे स्पष्ट है की उक्त माल 80 बोरी रायड़ा मांगीलाल खस्सा जी जैन निवासी बागोड़ा द्वारा काश्तकारों से खरीद कर वास्ते विक्रय हेतु सुमेरपुर इसी वाहन में भिजवाना प्रमाणित है। जिसके समर्थन में किसी प्रकार

लगातार.....3

के दस्तावेज पेश नहीं किये गये, व्यवहारी द्वारा कर योग्य माल राज्य में अपंजीकृत होते हुए काश्तकारों से खरीद कर वास्ते विक्रय भिजवाया जाना जाहिर है, व्यवहारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उलंघन कर, करवंचना का प्रयास किया गया, अतः माल कीमत रूपये 1,92,000/— पर वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति एवं धारा 76(12) के तहत प्रस्तावित है। अतः प्रकरण निष्पादन हेतु श्रीमान् उपायुक्त (प्रशासन) महोदय वा. कर पाली को पत्र लिखा जावे।" पत्रावली पेश हुई श्रीमान् द्वारा दूरभाष पर प्रकरण पत्रावली ACTO I AE को स्थानान्तरित करने के निर्देश दिये है अतः सम्बन्धित को स्थानान्तरित की जाती है।

(ग) पत्रावली में पृष्ठ संख्या 33 पर उपलब्ध पत्र के द्वारा उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, पाली ने सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन पाली को पत्र लिखकर बिना समुचित आदेशों व क्षेत्राधिकार के वाद निस्तारित करने के संबंध मे संबंधित कर निर्धारण अधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा है, पत्र निम्नानुसार है :—

" प्रासंगिक पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर लेख है कि विद्वान अपीलीय प्राधिकारी जोधपुर द्वितीय द्वारा वांछित रिपोर्ट मय तथ्यों के पेश करने हेतु सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों को पाबन्द करे।

यदि पत्र में वर्णित तथ्य सही है तो स्पष्ट करे बिना समुचित आदेशों के वाद स्थानान्तरित करना/किया जाना व निर्णित किये जाने के सम्बन्ध में आप नियन्त्रक अधिकारी के रूप में क्या भूमिका निभाते है, स्पष्ट करें ?

बिना समुचित आदेशों व क्षेत्राधिकार के किस प्रकार वाद—निर्णित किये गये। सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर मय आपकी टिप्पणी के प्रेषित करे। ऐसे विवादित प्रकरणों में होने वाली राजस्व हानि के लिये कौन दायी है ?

आपके वृत में पदस्थापित अधिकारियों को विभागीय निर्देशों/नियमों की पूर्ण पालना हेतु पाबन्द किया जावे।

वाद स्थानान्तरण आदेश के प्रकरण के निष्पादन के लिये जारी सम्मन में पत्रांक दिनांक का उल्लेख कर वाद स्थानान्तरण आदेश प्रति सम्बन्धित पक्षकार को उपलब्ध करवायी जावे। आपके वृत द्वारा दिनांक 01.04.2008 से किये गये सर्वेक्षण RD/URD व अब तक बनाये गये वाद मय दिनांक तथा उनके स्थानान्तरण आदेश क्रमांक, दिनांक, निर्णय दिनांक, कर—शास्ति राशि व अब तक अनिर्णीत प्रकरणों की सूची पेश करे।"

लगातार.....4

8) आयुक्त वाणिज्यिक कर राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(म)/ज्यूरिस/कर/आयुक्त/97/536/दिनांक 07.08.2009 के द्वारा कर अपवंचन अभियोगों का निस्तारण अभियोग दर्ज करने वाले अधिकारी से न करवाकर अन्य अधिकारियों से करवाने हेतु दिशा निर्देश प्रचलित किये गये थे।

9) अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश मे यह अवलोकन किया है कि दिनांक 11.04.2013 को स.वा.क.अ. घट प्रथम एई पाली व अपीलार्थी को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। दिनांक 11.04.2013 को अथवा इसके बाद भी उपायुक्त प्रशासन पाली द्वारा स.वा.क.अ. घट प्रथम एई पाली को कोई अभियोग स्थानान्तरित करने के आदेश नही पाये गये। अपनी मनमर्जी से सक्षम अधिकारी की शक्ति स्वयं द्वारा अधिगृहित करते हुये पारित आदेश को अस्तित्वहीन घोषित किया व अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया।

10) प्रकरण के तथ्यों से भली भांति प्रमाणित है कि विवादित आदेश सक्षम अधिकारी के द्वारा बिना क्षेत्राधिकारिता के पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। इस प्रकरण में पैरा 8 मे उल्लेखित आयुक्त वाणिज्यिक कर के निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। अधीनस्थ अधिकारियों का कृत्य गंभीर उल्लंघन/अतिक्रमण करने का कृत्य है। हाल ही में इस पीठ के समक्ष अपील संख्या 2120/2012/सिरोही, 2121/2012/सिरोही, 2122/2012/सिरोही व 2123/2012/सिरोही मैसर्स वैभव ऑटोपार्टस बनाम स.वा.क.अ. एई–द्वितीय पाली के मामले में भी बिना क्षेत्राधिकार आदेश पारित करने के आधार पर अपील निर्णय दिनांक 24.02.2016 को पारित किया गया था। प्रतिकरापवंचन वृत–पाली की इस कार्यशैली के संबंध में उपायुक्त प्रशासन पाली का पत्र दिनांक 24.01.2014, जो पैरा 6(ग) में उल्लेखित है, से भी नियत्रंण अधिकारी के निर्देशों का असर होना भी प्रतीत नहीं होता है।

11) उपरोक्त तथ्यात्मक विवेचन के पश्चात अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है तथा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर को इस प्रकार की कार्यशैली को उनकी जानकारी हेतु प्रेषित की जाये।

निर्णय सुनाया गया।

04.03.2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य